शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र / राशिके / शिशि / 2020 / 1409 भोपाल दिनाँक 18/ 8/2021

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः—सत्र 2021—22 से शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने विषयक।

उल्लेखनीय है कि सत्र 2021—22 से शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पाठ्यक्रमों में एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया जारी की जाती हैः—

शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय में संचालित व्यावहारिक मनोविज्ञान (Applied Psychology) तथा पी.जी.डिप्लोमा इन गाइडेन्स एवं काउंसलिग (Post graduate diploma in Guidance and Counselling) पाठ्यक्रम में प्रवेश

सत्र 2021—22

1. म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) के अधीन शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित है। यह महाविद्यालय प्रदेश का शासकीय क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय है जहॉ व्यावहारिक मनोविज्ञान (Applied Psychology) तथा गाइडेन्स एवं काउंसलिग (Post graduate diploma in Guidance and Counselling) पाठ्यक्रम का अध्यापन किया जाता है। दोनो पाठ्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्धता प्राप्त है।
2. **अधिकार**—प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने तथा प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग को रहेगा। उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगें। ऑनलाईन काउंसलिग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संचालक / आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय—समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगें।

निरंतर.........2 / —

3. **प्रभावशीलता**–यह प्रवेश नियम म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) के अधीन शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रभावशील है।

4. **महाविद्यालयवार सीट्स का विवरण**

पाठ्यक्रम	विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	गैर–विभागीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट
एम.ए. व्यावहारिक मनोविज्ञान	—	35
पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेन्स एंड काउंसलिग	20	20

5. **प्रवेश हेतु पात्रता –**

विभागीय अभ्यर्थियों हेतु –

5.1 महाविद्यालय में पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेन्स एंड काउंसलिग पाठ्यक्रम में विभागीय सीट्स पर प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत् सभी संवर्ग के शिक्षक/व्याख्याता पात्र होगें।

5.2 विभागीय अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर गैर–विभागीय अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध सभी स्थानों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

5.3 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रय पूर्ण करना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के दौरान प्रवेश निरस्त करने संबंधी प्रावधान नहीं है।

5.4 विभागीय अभ्यर्थी के लिये पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होना चाहिए।

गैर–विभागीय अभ्यर्थियों हेतु –

5.5 शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में संचालित 02 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु म.प्र. के मूलनिवासी अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

6 **प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता –**

एम.ए. (व्यावहारिक मनोविज्ञान) –

1. बी.ए. में मनोविज्ञान सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक।
2. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान विषय नहीं लिया है उन्हें भी स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहियें।

निरंतर.........3/–

पी.जी. डिप्लोमा इन गाइडेन्स एंड काउंसलिग पाठ्यकम में

1. एम.ए. मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी उपाधिधारी
2. एम.एड. में द्वितीय श्रेणी उपाधिधारी

विभागीय अभ्यर्थी के लिये एम.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए।

7 आवेदन प्रकिया –

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इंटरनेट सुविधा अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैः–

7.1 **पंजीयन**–विभागीय एवं गैर–विभागीय अभ्यर्थियों को https://rsk.mponline.gov.in/ पर ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रपत्र में पदनाम, कार्यरत संस्था एवं जिला की जानकारी अनिवार्य रूप से देना होगी। पंजीयन हेतु एम. पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

7.2 विभागीय अभ्यर्थी पंजीयन उपरांत आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ संबंधित जिलें के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेगें। जिलें में प्राप्त कुल आवेदन को सूचीबद्ध कर अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित की जाएगी।

7.3 सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा–10वी, 12वी एवं स्नातक, स्नातकोत्तर, इत्यादि की अंकसूची एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें।

7.4 गैर–विभागीय अभ्यर्थियों को उक्त के साथ ही आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण–पत्र, म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण–पत्र इत्यादि एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें।

7.5 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।

निरंतर.........4/–

8 सीट आवंटन–

8.1 गैर–विभागीय अभ्यर्थियों अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूचीं के अनुसार गुणानुक्रम में निर्धारित काउंसलिग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगें।

8.2 गैर–विभागीय अभ्यर्थियों का सीट आवंटन म.प्र.शासन के आरक्षण संबंधी सभी नियमों के आधार पर किया जाएगा। यह आरक्षण निम्नानुसार रहेगाः–

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिशत
01	अनुसूचित जाति	16
02	अनुसूचित जनजाति	20
03	अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)	14
04	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10

(अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मान. न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।)

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएगें तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जाएगें। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेगें।

उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्थान आवंटन किया जायेगा।

8.3 विभागीय उम्मीदवारों का चयन शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता का क्रम होगा। समान नियुक्ति तिथि होने पर अभ्यर्थी की आयु को आधार मानकर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी।

8.4 सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

9 **महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया–**

9.1 महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

निरंतर.........5/–

9.2 महाविद्यालय को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। महाविद्यालय उन्हें प्रदान किए गए आई.डी. एवं पासवर्ड के आधार पर उक्त सूची प्राप्त कर सकेगें।

9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त होने पर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इस के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं स्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

9.4 महाविद्यालय द्वारा एम.पी.ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

10 **शुल्क**–शासकीय मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर में प्रवेश उपरान्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क एवं संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क देय होंगे। विभागीय अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ने पर, प्रशिक्षण अवधि में हुये वेतन भुगतान एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की राशि सम्बन्धित शिक्षा महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(धनराजू एस.) 18/8/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृष्ठ. क्र/राशिके/शिशि/2020/1410 भोपाल दिनाँक 18/8/2021

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)।
3. कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

18/8/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल